

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
आदेश

सं०-11/विधि अधिवक्ता (पैनल) 40/2022-403 (11)/रा०, पटना-15, दिनांक-03/06/2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत भू-हदबंदी, चकबंदी एवं सीमा विवाद से संबंधित अधिवक्ताओं के पैनल गठन से संबंधित आदेश संसूचित ज्ञापांक-465, दिनांक-29.04.2022 के द्वारा विशेष सरकार अधिवक्ता एवं सहायक सरकारी अधिवक्ताओं का पैनल गठन करते हुए पैनल की अवधि आदेश निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए की गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक-28.04.2025 को समाप्त हो गयी है।

2. विधि विभाग के पत्रांक-3793, दिनांक-23.06.2025 के द्वारा भू-हदबंदी, चकबंदी एवं सीमा विवाद से संबंधित अधिवक्ताओं के गठित पैनल की अवधि दिनांक-29.04.2025 से 31.07.2025 तक एवं विधि विभाग के पत्रांक-5042/जे०, दिनांक-11.08.2025 द्वारा पूर्व गठित पैनल की अवधि दिनांक-01.08.2025 से 31.08.2025 तक विस्तारित की गयी थी।

3. पुनः विधि विभाग के पत्रांक-8846, दिनांक-29.12.2025 एवं महाधिवक्ता के परामर्श दिनांक-30.01.2026 के आलोक में भू-हदबंदी, चकबंदी एवं सीमा विवाद से संबंधित वादों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अर्द्ध-न्यायिक न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने हेतु गठित 02 विशेष सरकारी अधिवक्ता एवं 25 सहायक सरकारी अधिवक्ताओं के पैनल की अवधि दिनांक-01.09.2025 से नये पैनल के गठन तक विस्तारित किये जाने पर परामर्श/स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. उक्त आलोक में पूर्व गठित पैनल की अवधि दिनांक-01.09.2025 से 02 विशेष सरकारी अधिवक्ता एवं 17 सहायक सरकारी अधिवक्ताओं के नये पैनल के गठन तक विस्तारित की जाती है।

(जय सिंह)
सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक-11/विधि अधिवक्ता (पैनल) 40/2022-403 (11)/रा०, पटना-15, दिनांक-03/06/2026
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अधिवक्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक-11/विधि अधिवक्ता (पैनल) 40/2022-403 (11)/रा०, पटना-15, दिनांक-03/06/2026
प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व परषद, बिहार, पटना/निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना तथा माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक-11/विधि अधिवक्ता (पैनल) 40/2022-403 (11)/रा०, पटना-15, दिनांक-03/06/2026
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।